हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः 55328-337 27 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त शिमला के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला शिमला के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव , जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्रम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	**विकास खण्ड चौपालः**					
	1 वोहर	1 खखरोना	बागन	1 वागन	1 खखरोना	
		2 सुनारली		2 डकेड़	2 सुनारली	
		3 बोर		3 रोहाणा	3 बोर	
		4 बागन			4 गुमा	

		5 रोहाणा				
		6 गुमा				
		7 डकेड़				
2	**विकास खण्ड कुपवी**					
	2 मालत	1 दोची	कोठी	1 दोची	1 चीन्द	
		2 कोठी		2 कोठी	2 धारछडी	
		3 आहनोग		3 आहनोग	3 सेरटी	
		4 चीन्द			4 मालत	
		5 धारछडी				
		6 सेरटी				
		7 मालत				
3	**विकास खण्ड रोहड़ू**					
	1 लोयर कोटी	1 लोयरकोटी	पारसा	1 पारसा	1 लोयरकोटी	
		2 छुपाडी			2 छुपाडी	
		3 पारसा				
4	**विकास खण्ड मशोबरा**					
	1 दरभोग	1 नाला	नाला	1 नाला	1 जटोल	
		2 काछट		2 काछट	2 डुम्हैर	
		3 जटोल		3 जंगल काछटनाला	3 नम्ब्रेली	
		4 डमैहर		4 जंगल राजिन्द्र रख	4 वीचड	
		5 नम्ब्रेली			5 दरभोग	
		6 वींचड			6 मोड	
		7 दरभोग			7 काग	
		8 मोड			8 पराडी	
		9 काग			9 खील भइला	
		10 पराडी			10 वगनाकलां	
		11 खील भाईला			11 बगनाखुद्र	
		12 बगनाकलां			12 जंगल जटोल	
		13 बगनाखुद्र			13 जंगल दोयम	
		14 जंगल काचटनाला			14 जंगल दोयम मोड पराडी	
		15 जंगल जटोल			15 जंगल मनून	
		16 जंगल दोयमकाग			16 जंगल डुमहेर	
		17 जंगल दोयममोड पराडी			17 जघोग	
		18 जंगल मनून			18 सेरी डगौण	
		19 जंगल				

		राजिन्द्र रख				
		20 जंगल डुमैहर				
		21 जघोग				
		22 सेरी डगौण				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त– 55328-337 दिनांक 27 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मैल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पचांयत अधिकारी शिमला को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिशिचित करवाएगें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिशिचित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिशिचित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.